Instructions to the Candidate on e-Call Letter
Please read carefully and comply

1. Candidates should report at the centre of the examination well in advance of the reporting time indicated on the e-Call Letter to complete activities such as verification of the candidate, capture of biometric(LTI) and photo, collection of documents, announcement of instructions and logging in etc.
2. Candidates to note the following timings. The duration of CBT will be 60 minutes for 75 questions.

	Shift-1	Shift-2	Shift-3
Reporting Time	8:15 AM	11:15 AM	2:15 PM
Gate Closing Time	9:15 AM	12:15 PM	3:15 PM
Exam Start Time	10:00 AM	01:00 PM	4:00 PM

3. No candidate will be allowed inside the test centre after gate closing time for the

उम्मीदवारों के लिए इ-बुलावा पत्र सम्बंधित अनुदेश
कृपया ध्यान से पढे एवं अनुपालन करे

1. इ-बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करें ताकि परीक्षा आरम्भ होने से पहले उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियां जैसे उम्मीदवार - सत्यापन, बायोमेट्रिक कैप्चर (बाएं अंगूठे का निशान) और फोटो, दस्तावेज-संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिंग इन आदि पूरी कर सकें।
2. उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करें। सीबीटी की अवधि 60 मिनट 75 प्रश्नों के लिए होगी।

	शिफ्ट-1	शिफ्ट-2	शिफ्ट-3
रिपोर्टिंग समय	08:15 पूर्वाह्न	11:15 पूर्वाह्न	02:15 अपराह्न
गेट बंद होने का समय	09:15 पूर्वाह्न	12:15 मध्याह्न	03:15 अपराह्न
परीक्षा आरंभ होने का समय	10:00 पूर्वाह्न	01:00 अपराह्न	04:00 अपराह्न

3. इ-बुलावा पत्र में दी गई तिथि एवं शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के समय के बाद यदि कोई उम्मीदवार आता है, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(1)

B.A - part - III
Sub - Pol. Science.
Group - C (optional/special paper)

Topic - "Subjects of International Law"
(State and International Institutions)
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय
(राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ)

Dr. Dhananjay Jha.
Assistant Professor
(Guest faculty/part time)
Deptt. of Pol. Science
L.S. College Muzaffarpur
Mob. 8210688019.

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय (Subjects of International Law)

⇒ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय का अभिप्राय :—

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय से अभिप्राय उस इकाई से होता है—

① जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो।

② जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अपने अधिकारों को लागू कराने की क्षमता रखता हो।

— ③ जो इस कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य विषयों से संविदा ② त्मिक अथवा अन्य सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता रखता हो और

— ④ जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में किसी न किसी अंश (Part) में भाग लेने की क्षमता रखता हो।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय : विभिन्न दृष्टिकोण
(Subjects of International Law : Various Approaches)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन है? इस प्रश्न का समाधान करने हेतु हमारे समक्ष तीन प्रमुख विचारधाराएं उभरकर आती है —

— ① प्रथम विचारधारा

— ② द्वितीय विचारधारा

— ③ तृतीय विचारधारा

— ① प्रथम विचारधारा :⟹

प्रथम विचारधारा के अनुसार राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय है।

⟹ इस विचारधारा के प्रबल समर्थक ओपेनहीम है।

⟹ इस विचारधारा के अन्य समर्थक - फ्रेडरिक स्मिथ और जे० एफ० विलियम्स है।

⟹ ओपेनहीम के अनुसार — "चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य विषय है।"

⟹ फ्रेडरिक स्मिथ के शब्दों में, "अन्तर्राष्ट्रीय कानून में केवल राज्यों को ही अधिकारिता प्राप्त है। केवल राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं।"

③ ⟹ प्रसिद्ध सोवियत विद्वान प्रो० आइ० ट्रंकिन के अभिमत में — "अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम अन्तर-राज्य सम्बन्धों को नियमित करते हैं और राज्यों के हितों (Interests of states) को प्रभावित करते हैं। राज्यों की पारस्परिक सहमति का परिणाम होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम राज्यों की स्वेच्छा को अभिव्यक्त करते हैं।"

⟹ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान (कानून) के अनुच्छेद-34 में भी इस बात को इंगित/उल्लेखित किया गया है कि 'न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में केवल राज्य ही वादी-प्रतिवादी हो सकते हैं।'

—x—

② द्वितीय विचारधारा :⟹

द्वितीय विचारधारा के अनुसार व्यक्ति ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय समझे जाने चाहिए। कुछ आधुनिक लेखक राज्य को केवल विधि की कल्पना मानते हैं और उनका मानना है कि यथार्थ में राज्य के अधिकार और कर्तव्य उसमें रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं।

⟹ सन् 1914 में वेस्टलेक ने लिखा था - "राज्यों के कर्तव्य और अधिकार वास्तव में उन मनुष्यों के अधिकार और कर्तव्य होते हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है।"

③ तृतीय विचारधारा :⟹

तृतीय विचारधारा बड़ी ही सन्तुलित है जिसके अनुसार राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य विषय हैं परन्तु वर्तमान समय में व्यक्ति, गैर-राज्य इकाइयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय संग-

थाएं भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सदस्य हो सकते हैं। न्यूरेम्बर्ग तथा टोकियो न्यायालयों ने भी यह नियम प्रतिपादित किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व हो सकता है।

अतः उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं के विश्लेषणोपरान्त हम यह कह सकते हैं कि प्रथम विचारधारा राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय कानून या विधि का विषय मानता है जबकि द्वितीय विचारधारा व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा कानून का विषय मानता है और तृतीय विचारधारा के अनुसार व्यक्ति, गैर-राज्य इकाइयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून या विधि के विषय/सदस्य हो सकते हैं।

संक्षेप में,

(1) प्रथम विचारधारा के अनुसार → अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा विधि का विषय → 'राज्य' (State)

(2) द्वितीय विचारधारा के अनुसार → अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा विधि का विषय → 'व्यक्ति'।

(3) तृतीय विचारधारा के अनुसार → अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा विधि का विषय → (व्यक्ति + गैर-राज्य इकाइयाँ + अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं।)